उपभोक्ता अदालत : लूट, दलाली व भ्रष्टाचार का अड्डा

फरीदाबाद (म.मो.) पूरी तरह से जर्जर एवं निरर्थक हो चुकी न्याय व्यवस्था से जनसाधारण को बांधे रखने के उद्देश्य से शासक वर्गों ने जनता के एक वर्ग को उपभोक्ता का नाम दे कर उसे अलग से न्याय दिलाने का पाखंड करते हुए उपभोक्ता अदालतों का गठन किया। प्रारंभिक अवस्था में इसकी जो थोड़ी-बहुत सार्थकता दिखी भी थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है। विदित है कि इन अदालतों के पीठासीन अधिकारियों एवं सदस्यों की नियुक्तियां राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। फरीदाबाद में नियुक्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों को देखते हुए लगता है कि सरकारों में घटिया से घटिया और भ्रष्टतम पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की होड़ सी लगी हुई है। चौटालों ने अपने राज में यहां चुन कर घटिया एवं भ्रष्टतम पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन हुड्डा सरकार द्वारा की गई नियुक्ति यह सिद्ध करती है कि वे भला चौटालों से पीछे कैसे रह सकते हैं।

इस अदालत में लूट, भ्रष्टाचार एवं दलाली का धंधा कैसे फ़लता-फूलता है, इसे समझने के लिए डॉ. पूर्णिमा मुंजाल व कमलेश कुमारी का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हूडा) के साथ चले उस मुकदमे को देखना जरूरी है जिसका निर्णय 24 सितम्बर, 2008 को पारित किया गया।

इस केस में शिकायतकर्ताओं ने 14-01-2003 को सेक्टर-21 सी, फरीदाबाद स्थित मार्बल मार्किट में एक डीएसएस प्लॉट 39.52 लाख रुपये में नीलामी में खूब अच्छी तरह देखभाल कर खरीदा था। 6 मई, 2003 को उन्होंने उक्त प्लॉट का कब्ज़ा भी ले लिया था। बाद में जब उन्हें लगा कि उक्त प्लॉट उन्होंने महंगा खरीद लिया तो उसे सरेंडर कर दिया। हूडा ने नियमानुसार 10 प्रतिशत कीमत काट कर उनका पैसा जनवरी, 2004 में वापस भी कर दिया। बाद में 9 फरवरी, 2004 को अपना कटा हुआ लगभग पांच लाख रुपया वापस लेने के लिए उन्होंने उपभोक्ता अदालत की शरण ली, क्योंकि उस समय प्रचलित व्यवहार के अनुसार जे.पी. चौधरी, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी एंड कंपनी को भेंट चढ़ाने के बाद कानूनन काटा गया पैसा भी वापस मिल जाता था और वह भी ब्याज के साथ।

अब प्रारंभ होता है केस का दूसरा पहलू। मई, 2007 में खनगवाल साहब ने अदालत के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जिन लोगों ने जे.पी. चौधरी के राज में माल उड़ाये थे, वे सब खनगवाल की शरण में पहुंचे तथा अगले पांच वर्षों तक उनके लिए पूरा हिस्सा-पत्ती तय कर दिया। अत: उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में संशोधन कराने के लिए दरख्वास्त लगवाई जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ताओं को मार्बल मार्किट का उक्त प्लॉट जिसे वह पहले अपनी इच्छा से सरेंडर कर चुके थे, वापस दिलवाया जाये। कारण था कि प्रापर्टी बाज़ार में आई तेजी के चलते उक्त प्लॉट की कीमत अब लगभग दो करोड़ रुपये हो चुकी थी। ऐसे में बहती गंगा में हाथ धोने से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता था। हूडा वालों को तो कोई आपत्ति पहले भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी हिस्सा-पत्ती शिकायतकर्ताओं से तय रहती ही है। अब खनगवाल महोदय उक्त केस में आदेश पारित करने का समय तलाश रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था तो केवल अदालत के एक अन्य सदस्य सतीश मित्तल का, क्योंकि वह पहले भी उनके खुले लेन-देन में बाधा बन चुके थे। किस्मत से उनकी यह अड़चन भी दूर हो गई जब मित्तल 15 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2008 तक छुट्टी पर चले गये। खनगवाल और उपासना बागला के लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था, अत: आनन-फानन में 24 सितम्बर, 2008 को आदेश पारित कर दिया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जनवरी, 2004 में सरेंडर किया गया प्लॉट नं. 1-पी, मार्बल मार्किट, सेक्टर-21 सी, फरीदाबाद शिकायतकर्ताओं के नाम पुन: आवंटित कर दिया जाये, वह भी 39.52 लाख रुपये में। क्या इस तरह का फ़ैसला खनगवाल ने यूं ही कर दिया होगा? ऐसे मामलों में यही देखा गया है कि न लेने वाला और न देने वाला ही कहता है कि सौदेबाजी हुई, पर समझा जा सकता है कि करोड़ों का यह सौदा मुफ़्त में नहीं हुआ होगा।

> **अगर सरकार नाम की कोई चीज है और वह स्वयं के ईमानदार होने का दावा कर रही है तो उसे इस मामले की जांच करवानी चाहिए, साथ ही समय पर अपील न डाल कर वादी को लाभ पहुंचाने के लिए हूडा के अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमाम में सभी नंगे हैं, सब मिल बांट कर खा रहे हैं, इसलिए कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा।**

इसके बाद शुरू होता है केस का तीसरा पहलू। पैसे दे कर अदालत से गैरकानूनी आदेश भी ले लिया गया, किन्तु अगर आदेश के खिलाफ अपील हो गई तो सारा किया-धरा बेकार। पर ऐसे मामलों में संकट से उबारने के लिए हूडा के सरकारी वकील कौशिक साहब अपनी सेवायें प्रस्तुत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जाहिर है, अपनी सेवायें वकील साहब मुफ़्त में तो देंगे नहीं। सरकारी वकील हैं, फीस तो मोटी लेंगे ही।

फ़ैसले के खिलाफ अपील करने की समय-सीमा 30 दिनों की होती है। वकील साहब इस अवधि को निकलवा देने में माहिर हैं। और बाद में अगर अपील करनी भी पड़ जाये तो जिला अदालत के आदेश का क्रियान्वयन करने में अधिक समस्या नहीं आती। हूडा के संपदा अधिकारी व प्रशासक की बात तो छोड़ दें, मुख्य प्रशासक व अन्य उच्च अधिकारी भी कौशिक की सलाह के विपरीत कोई कार्य नहीं करते।

जहां तक इस केस का सवाल है, इस मामले को उपभोक्ता अदालत में रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि

1. जिला उपभोक्ता अदालत में केस दायर करने हेतु वित्तीय सीमा 20 लाख रुपये तय है, जबकि उक्त केस से संबंधित प्लॉट की नीलामी कीमत ही 39.52 लाख रुपये थी।

2. जिला उपभोक्ता अदालत में केस दायर करने की समय सीमा कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने के अधिकतम दो वर्ष के अंदर तय है, जबकि शिकायतकर्ताओं ने संशोधित शिकायत जिसमें उक्त प्लॉट को पुन: आवंटित करने की मांग थी, कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने के पांच साल बाद दायर की।

3. नीलामी में खरीदी गई संपत्ति उपभोक्ता अदालतों के दायरे से बाहर है।

4. आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशगण अपने पूरे आदेश में तथा शिकायतकर्तागण अपनी पूरी पैरवी में यह साबित करने में असमर्थ रहे कि प्रतिवादी हूडा इस केस में सेवाओं की कमी का दोषी है।

कुल मिला कर उपभोक्ता अदालत की सारी कार्यवाही ही एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला है। ऐसी बात नहीं कि ऐसा कोई पहली बार हुआ हो। यह मामला तो महज एक उदाहरण मात्र है। इससे पूर्व भी खनगवाल द्वारा इस तरह के आदेश पारित करने के मामले सामने आ चुके हैं। दिनांक 24 जून, 2008 को पारित एक आदेश - क्रांति पी.जैन बनाम नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी के मामले में तो याची के पक्ष में शत-प्रतिशत फ़ैसला हो रहा था, पर उस फैसले को करने के लिए भी खनगवाल ने अपने दूत भेजे और लेन-देन की बात तय हो जाने पर ही उसे बीमा कंपनी से पैसे दिलवाने का आदेश पारित किया।

एक अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत है- सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक राजरूप सिंह जिन्हें हूडा ने प्लॉट का कब्ज़ा भी नहीं दिया, क्योंकि मौके पर पूरा प्लॉट ही नहीं है। उनका केस छ: साल के बाद गत अक्टूबर माह में यह कह कर खनगवाल ने लौटा दिया कि यह 20 लाख रुपये से ऊपर की कीमत का केस है, क्योंकि सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक से सौदेबाजी करने का साहस खनगवाल नहीं जुटा पाये।

रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कोष से 60,000 रुपये मासिक वेतन, आलीशान कोठी, टेलीफोन, नौकर-चाकर आदि मिलने के बाद भी हर समय रिश्वत की चाहत रखने वाले ये खनगवाल इस देश को कहां ले जायेंगे? उपभोक्ता अदालत में नियुक्ति के बाद तो उन्हें पूरे पांच साल तक लूट-खसोट का सरकारी लाइसेंस मिल गया है, वह भी फरीदाबाद जैसे मलाईदार जिले में। साथ ही यहां से तबादले का भी कोई डर नहीं।

इस संबंध में मुख्यमंत्री हुड्डा तथा हरियाणा राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.एस.मदान से पूछना है कि जब हरियाणा राज्य उपभोक्ता आयोग की सदस्य शकुन्तला यादव को आनन-फानन में आरोप लगा कर दिनांक 9 जून, 2008 को उनका कार्यकाल समाप्त होने से मात्र तीन दिन पहले हटाया जा सकता है तो खुलेआम मोटी रकम डकार कर गैरकानूनी आदेश पारित करने वाले खनगवाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? वास्तव में, अगर सरकार नाम की कोई चीज है और वह स्वयं के ईमानदार होने का दावा कर रही है तो उसे इस मामले की जांच करवानी चाहिए, साथ ही समय पर अपील न डाल कर वादी को लाभ पहुंचाने के लिए हूडा के अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमाम में सभी नंगे हैं, सब मिल बांट कर खा रहे हैं, इसलिए कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा।

आवारा पशुओं को पकड़ने में नाकामयाब निगम

सारी योजनायें महज कागजों पर और फाइलों तक सिमटी है

फरीदाबाद (म.मो.) शहर में आवारा पशुओं की समस्या पूर्ववत बनी हुई है। किसी भी सड़क, कॉलोनी अथवा बाजार से गुजरने पर जहां-तहां आवारा पशुओं को विचरण करते हुए देखा जा सकता है। कॉलोनियों में कुत्तों का आतंक सबसे ज्यादा है। प्रतिदिन गलियों में खेलने वाले बच्चों को आवारा कुत्ते काट खाते हैं। गत दिनों आवारा कुत्तों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। इसकी वजह बताना आवश्यक नहीं है। हां, यह उल्लेख करना जरूरी है कि कुत्ते के काट खाने पर कोई भी आदमी ढाई-तीन हजार रुपये के नीचे आ जाता है। सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटे का टीका उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में पहले विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है, इसलिए इसे दुहराना व्यर्थ होगा। ऐसी बात नहीं कि कुत्ते सिर्फ बच्चों को ही काटते हैं, पागल कुत्ते बड़े लोगों को भी दौड़ा कर काट लेते हैं। साथ ही, इन्हें बचाने अथवा इनसे बचने के चक्कर में दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं।

कुत्तों के अलावा सड़कों पर सुअर, गायें, और सांड भी घूमते व गंदगी में मुंह मारते दिखाई पड़ते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि गत वर्षों में कितने लोग सांडों के आक्रमण का शिकार हो स्वर्ग सिधार गए। इन पशुओं के अलावा कुछ इलाकों में बन्दरों का आतंक भी जोरों पर है। ये वही बन्दर हैं जिन्हे दिल्ली से पकड़कर फरीदाबाद की सीमा में छोड़ दिया गया।

गत दिनों जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत जाधव ने गौ-पूजन कर आवारा गायों को गौ-शालाओं में पहुंचाने का अभियान शुरू किया था। 6 नवम्बर को गोपाल गौशाला, बडखल में गोपाष्टमी पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक श्रीकान्त जाधव को आमंत्रित किया गया था। श्रीकान्त जाधव जब कार्यक्रम में पहुंचे तो अपने साथ दो गाड़ियों में आवारा घूमने वाली गायों को भरकर ले आये और आयोजकों से कहा कि शहर में सड़कों पर आवारा घूम रही गायों को गौ-शालाओं तक पहुंचाना बड़े ही पुण्य का कार्य है। इससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और यह गौ माता की सच्ची सेवा भी है। इस अवसर पर एस. पी. सहित अन्य अतिथियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गौ-पूजन भी किया।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि एस. पी. साहब बहुत बड़े गौ-भक्त हैं और वे आवारा फिरने वाली गायों को गौ-शालाओं तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, पर कहीं ऐसा न हो कि वे इस पुण्य कार्य में इस कदर लग जायें कि अपराधी निर्भीकतापूर्वक अपने कार्यों को अन्जाम देने लगें। एस. पी. साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि समस्या का कारण सिर्फ आवारा गायें ही नहीं, बल्कि दूसरे पशु भी हैं। उन्हें कौन पकड़ेगा और कौन उनके ठिकाने की व्यवस्था करेगा?

यह बताने की जरूरत नहीं है कि आवारा पशुओं को पकड़ना और उनके ठिकाने की व्यवस्था करना नगर निगम की ड्यूटी है। पर गत कई वर्षों से नगर निगम सिर्फ कागजों पर ही आवारा पशुओं को पकड़ने की एक से एक नायाब योजनाएं बना रहा है। आवारा पशुओं की समस्या और नगर निगम की कोताही व लापरवाही के संबंध में **मजदूर मोर्चा** के गत अंकों में कई बार विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। उन बातों को फिर से दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

निगमायुक्त महोदय ने कई बार आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में योजनाएं बनाईं, पर उनकी सभी योजनाएं कागजों और फाइलों तक सिमट कर रह गईं। कुछ योजना तो अत्यन्त ही हास्यास्पद थी, जैसे पालतू कुत्तों के पंजीकरण व उनके गले में पट्टा लटकाने की योजना। आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें टीका लगाने व उनकी नसबंदी करने की योजना भी उन्होंने बनाई और इसका खूब प्रचार किया गया। लेकिन किसी योजना पर अमल नहीं किया गया। अपनी योजनाओं पर निगमायुक्त ने अमल क्यों नहीं किया, इसका जवाब वे स्वयं ही दे सकते हैं और उन्हें देना भी चाहिए।

शहर की जनता आवारा पशुओं से तंग आ चुकी है। वह निगमायुक्त से यह पूछना चाहती है कि वे आवारा पशुओं को पकड़ने की किसी भी योजना पर अमल कब करेंगे। वैसे तो नगर निगम अपने किसी भी उत्तरदायित्व को निभाने में बुरी तरह असफल रहा है, पर निगमायुक्त महोदय की ईमानदारी और कर्त्तव्यपरायणता के डंके खूब बज रहे हैं। पर इससे जनता को क्या लाभ जब निगमायुक्त महोदय आवारा पशुओं के आतंक से शहर को मुक्त कराने की मामूली समस्या का भी हल नहीं कर सकते?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में नीलू प्रिंटिंग प्रेस प्लॉट न. 3/1 टी सी सी कॉम्पलेक्स, सेक्टर 10 से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06